



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 24, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

निर्वाचन अनुभाग

संख्या 508/61-2020-920/61-2019

लखनऊ, 15 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-79

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम 5 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

नियम 5 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-एक

वर्तमान नियम

5-भर्ती का स्रोत-सेवा में किसी पद पर भर्ती जिला निर्वाचन कार्यालयों में

स्तम्भ-दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

5-भर्ती का स्रोत-सेवा में पद पर भर्ती, जिला निर्वाचन कार्यालयों में मौलिक

स्तम्भ-एक**वर्तमान नियम**

मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ लिपिकों और कैशियर-कम-स्टोर क्लर्क में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

स्तम्भ-दो**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

रूप से नियुक्त प्रधान सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 508/LXI-2020-920/61-2019, dated December 15, 2020:

No. 508/LXI-2020-920/61-2019

Dated Lucknow, December 15, 2020

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Elections Department, Assistant District Election Officer Service Rules, 1992.

THE UTTAR PRADESH ELECTIONS DEPARTMENT, ASSISTANT DISTRICT ELECTION OFFICER SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Elections Department, Assistant District Election Officer Service (Third Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Elections Department, Assistant District Election Officer Service Rules, 1992 hereinafter called the said rules, for rule 5 set out in Column-I below, the rules as set out in column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I

Existing rules

5. Source of recruitment-
Recruitment to the post in the service shall be made by promotion from amongst substantively appointed senior clerks and cashier-cum-store clerks of the District Election Offices who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment.

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

5. Source of recruitment-
Recruitment to the post in the service shall be made by promotion from amongst substantively appointed head assistants of the District Election Offices who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

By order,

AJAY KUMAR SHUKLA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 539 राजपत्र-2020-(1119)-588 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 80 सा० निर्वाचन-2020-(1120)-1,000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।